प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 1.7.2014

माननीय वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2014-2015 का बजट प्रस्तुत किया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- वर्ष 2014-2015 के बजट में कुल व्यय ₹ 117040.99 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2014-2015 के लिये ₹ 4479.35 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
- वर्ष 2014-2015 का राजकोषीय घाटा ₹ 13425.48 करोड़ होना संभावित है।
- मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।
- वर्ष 2014-2015 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 103493.16 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹38989.88 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 27681.23 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 6758.86 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 30063.19 करोड़ शामिल है।

- वर्ष 2014-2015 में वर्ष 2013-14 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमानों से 16.80% की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2014-2015 में राजस्व व्यय ₹ 99013.81 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान ₹74388.64 करोड़ से ₹24625.17 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2014-2015 का प्रारंभिक शेष ₹ 381.61 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ (-) 458.50 करोड़ है इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 76.89 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2013-14 के बजट आयोजना व्यय ₹ 37608.16 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2014-2015 में कुल आयोजना व्यय ₹54,290.15 करोड़ प्रावधानित है। इस प्रकार आयोजना व्यय में 44.36 % की वृद्धि अनुमानित है।
- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 के बजट अनुमान, वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान ₹ 7,832.73 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,749.67 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2013-14 से 50% अधिक है।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 के बजट अनुमान, वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान ₹5,582.92 करोड़ से बढ़कर ₹ 7903.80 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2013-14 से 41.57% अधिक।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.98 %
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 1.00 %
- ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से 6.70 %

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कृषि बजट ₹ 22,413 करोड़ प्रस्तावित है जो कुल बजट का 19.15 प्रतिशत है।
- मक्के के उर्पाजन पर भी ₹ 150 प्रति क्विंटल की दर से बोनस।
- कृषकों को बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 1,050 करोड़ का प्रावधान।
- मनेरगा अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क उपयोजना प्रारंभ।
- खाद के अग्रिम भण्डारण के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 30 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में ₹ 10 करोड़ का प्रावधान।
- 320 नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर प्रारंभ करने का लक्ष्य।
- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण हेतु ब्याज अनुदान मद में ₹ 421 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि पंपो के नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भी कृषक अनुदान योजना अंतर्गत ₹ 227 करोड़ का प्रावधान।

- फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के प्रावधान ₹ 48 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹ 900 करोड़ का प्रावधान।
- पृथक फीडर स्थापित करने की योजना अंतर्गत 950 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- टैरिफ सब्सिडी हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 2,500 करोड़ का प्रावधान।
- कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत ₹ 240 करोड़ का प्रावधान।
- मत्स्य उत्पादन की गतिविधियों के लिए ₹ 88 करोड़ का प्रावधान।
- पशुपालन गतिविधियों के लिए ₹ 861 करोड़ का प्रावधान।
- उद्यानिकी के लिये ₹ 597 करोड़ का प्रावधान।

भौतिक अधोसंरचना विकास

- सड़कों के लिए कुल ₹ 5,646 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2013-14 की तुलना में ₹ 676 करोड़ अधिक।
- प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को चार लेन तथा जिला मुख्यालयों को दो लेन सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य के साथ आगामी पांच वर्षों में लगभग 19 हजार किलोमीटर के मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन।

- विद्युत क्षेत्र के लिए कुल ₹ 7,985 करोड़ का प्रावधान।
- नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2014-15 में कुल ₹ 72 करोड़ का प्रावधान।
- मालवा अंचल की लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना का परिकल्पन।
- सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए ₹ 5,714 करोड़ का प्रावधान।
- मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत इन्दौर तथा भोपाल शहरों में लाइट मेट्रो रेल परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय। जबलपुर शहर में भी मेट्रो रेल परियोजना के लिये फिजीबिल्टी सर्वे की स्वीकृति।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 11,102 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- इंदिरा आवास योजना के लिये ₹ 800 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के लिये ₹ 60 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण निकायों को वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित राशि के हस्तान्तरण हेतु ₹ 2,536 करोड़ का प्रावधान।
- बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड योजनान्तर्गत ₹ 631 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मर्यादा अभियान के अन्तर्गत ₹ 830 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पेयजल एवं नगरीय विकास

- नगरीय विकास एवं अधोसंरचना के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 5,895 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण बसाहट में नलकूप खनन एवं नल-जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 585 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिये ₹ 651 करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
- सिंहस्थ-2016 आयोजन के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 165 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में ₹ 87 करोड़ का प्रावधान।

शिक्षा

- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 11, 922 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2013-14 के प्रावधान से ₹ 3,124 करोड़ अधिक।
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ₹ 5,296 करोड़ का प्रावधान।
- विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से टोल फ्री कॉल सेन्टर तथा मोबाईल दूरभाष आधारित प्रणाली का प्रारंभ।
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु ₹ 690 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक।
- कौशल दक्षता के प्रमाणीकरण की औपचारिक एवं संस्थागत व्यवस्था बनाये जाने के उद्देश्य से आई. टी. आई. का मूल्यांकन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया से तथा कौशल विकास केन्द्रों का मूल्यांकन विश्व बैंक के माध्यम से कराया जाना। अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के कौशल प्रमाणीकरण की संस्थागत व्यवस्था की जाकर उन्हें नेशनल स्किल डेव्हलपमेन्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रमाण-पत्र दिया जाना।
- चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2014-15 में ₹ 582 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2013-14 से 30.61 प्रतिशत अधिक।
- शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का प्रदाय किया जाना।
- अम्बेडकर पॉलीटेक्निक योजना एवं एकलव्य पॉलीटेक्निक योजना के अन्तर्गत क्रमशः लटेरी एवं हरसूद में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित।
- आदिवासी विकास खंड़ों में 20 नये प्री-मेट्रिक छात्रावास, 3 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास एवं 10 आश्रम शालाएँ खोला जाना।
- अनुसूचित जाति क्षेत्र में 179 प्री-मेट्रिक छात्रावास खोले जायेंगे।

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 4,828 करोड़ का प्रावधान जो गत वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक।
- स्वास्थ्य संस्थाओं में औषधि, उपकरण एवं सामग्री के उपार्जन एवं आपूर्ति में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, गुणवत्ता, दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन।
- अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन अन्तर्गत ₹ 25 करोड़ का प्रावधान।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹ 2,000 प्रतिमाह, आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ₹ 1,000 प्रतिमाह का अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के लिये वर्ष 2014-15 में ₹ 227 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2014-15 में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु ₹ 190 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत ₹ 778 करोड़ का प्रावधान।
- महिलाओं के सम्मान एवं संरक्षण हेतु भोपाल में वन स्टॉप क्राईसिस सेंटर गौरवी का शुभारंभ।
- मुख्यमंत्री कन्यादान एवं निकाह योजनाओं अंतर्गत ₹ 111 करोड़ का प्रावधान।

खाद्यान्न सुरक्षा

- भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से निजी वेयर हाउस संचालकों को साढ़े चार माह की व्यवसाय गारंटी एवं अनुबंधित गोदाम के खाली रहने पर गारंटी राशि की 10 प्रतिशत राशि की क्षतिपूर्ति की जा रही है।

- प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को रुपये 1 प्रतिकिलो की दर से गेहूँ एवं चावल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान।

समावेशी विकास

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में अल्ट्रा स्मॉल बैंक प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब तक 1 लाख 80 हजार वरिष्ठजन को विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराये गये हैं। इस योजनांतर्गत ₹ 80 करोड़ का प्रावधान।

खेलकूद, पर्यटन एवं संस्कृति

- खेलों के विकास एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 174 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2013-14 की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक।
- कला, संस्कृति तथा पुरातत्व गतिविधियों के लिए ₹ 146 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2014-2015 में पर्यटन गतिविधियों के विकास के लिए ₹ 172 करोड़ का प्रावधान।

उद्योग एवं खनिज

- औद्योगिक इकाईयों को लागत पूँजी अनुदान हेतु ₹ 60 करोड़, लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु ₹ 35 करोड़ तथा टेक्सटाईल उद्योगों के लिये ब्याज अनुदान हेतु ₹ 75 करोड़ का प्रावधान।
- मध्यप्रदेश राज्य सिलाई-कला मण्डल, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य केशशिल्पी कल्याण मण्डल का गठन।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत ₹ 66 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रेक्टर योजना, युवा इंजीनियर्स को ठेकेदारी व्यवसाय के लिये प्रशिक्षित करने हेतु प्रारंभ।

कानून व्यवस्था

- गृह विभाग के लिये ₹ 4,817 करोड़ का प्रावधान।
- ₹ 429 करोड़ लागत का सी. सी. टी. व्ही. आधारित सर्विलेंस सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय। इस योजना अंतर्गत ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।
- ₹ 257 करोड़ लागत की डायल 100 योजना अन्तर्गत केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना। इस हेतु ₹ 44 करोड़ का प्रावधान।
- ₹ 190 करोड़ लागत की आधुनिक तकनीक पर आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ। इस हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान।
- राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा योजना अंतर्गत 80 हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्रों की स्थापना। योजनान्तर्गत ₹ 5 करोड़ का प्रावधान।
- न्यायालयीन भौतिक अधोसंरचना विकास के लिये ₹ 120 करोड़ एवं रख-रखाव हेतु ₹ 6 करोड़ का प्रावधान।

सुशासन

- हितग्राही मूलक योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को देय राशि ऑन लाईन भुगतान करने के उद्देश्य से समस्त परिवारों एवं सदस्यों का पंजीयन कर समग्र पोर्टल के माध्यम से राशि वितरण।
- प्रदेश में ग्रामीण आजीविका से जुड़े पहलुओं तथा सैंच्य क्षेत्र विकास को सम्मिलित करते हुये जल ग्रहण क्षेत्र विकास की गतिविधियों पर प्रशिक्षण के लिये भोपाल स्थित वाल्मी संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जाना।
- ई-पेमेन्ट की भांति शासन के पक्ष में जमा की जाने वाली राशि को भी ई-रिसीट्स के माध्यम से प्राप्त करने हेतु सायबर ट्रेजरी की सुविधा को विस्तारित किया जाना।
- परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने के लिये राज्य स्तर पर चयनित विभागों एवं जिलों में परियोजना प्रबंधन इकाईयां स्थापित की जाना।

पर्यावरण सुधार

- वन संरक्षण एवं सुधार गतिविधियों के लिये ₹ 2,712 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2013-14 से 27.65 प्रतिशत अधिक।

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में आयोजना अंतर्गत विकास के विभिन्न शीर्षों के लिये प्रावधानों का विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विकास शीर्ष	2013-14	2014-15
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	3611.90	5920.18
2.	ग्रामीण विकास	5229.70	12456.33
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3933.42	4578.41
4.	ऊर्जा	3399.52	3868.82
5.	उद्योग एवं खनिज	980.57	1224.68
6.	परिवहन	2538.51	2511.51
7.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	150.68	259.56
8.	सामान्य आर्थिक सेवायें	718.53	816.61
9.	सामाजिक सेवायें	16875.89	22983.12
10.	सामान्य सेवायें	169.45	283.22
	योग	**37608.17**	**54902.44**

वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में विभागवार विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	बजट अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15
1.	सामान्य प्रशासन	356.10	596.09
2.	गृह	4153.19	4816.96
3.	जेल	211.72	229.78
4.	वाणिज्य कर	2252.16	2553.41
5.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	87.10	98.04
6.	राजस्व	2253.44	4949.60
7.	परिवहन	87.83	142.33
8.	खेल एवं युवक कल्याण	112.73	174.37
9.	वन	2125.07	2712.57
10.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	907.03	1090.46
11.	ऊर्जा	8802.14	7985.41
12.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1636.58	3276.58
13.	सहकारिता	910.96	902.53
14.	श्रम	132.62	146.12
15.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3114.33	4828.98
16.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	5167.94	5895.26
17.	लोक निर्माण	4238.31	4267.47
18.	स्कूल शिक्षा	10225.83	14853.37
19.	विधि एवं विधायी कार्य	963.47	1367.54
20.	पंचायत	3751.09	4190.03
21.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	644.54	735.11
22.	जन संपर्क	183.29	236.20
23.	आदिम जाति कल्याण	3895.22	4868.21
24.	सामाजिक न्याय	1397.33	1424.69
25.	नर्मदा घाटी विकास	1484.75	1652.56
26.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1688.37	2145.08
27.	संस्कृति	140.91	146.92
28.	जल संसाधन	3521.42	4062.17
29.	आवास एवं पर्यावरण	209.21	239.85
30.	पर्यटन	158.15	172.30
31.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1727.44	2110.42
32.	पशु पालन	745.33	861.58
33.	मछली पालन	79.27	88.62
34.	उच्च शिक्षा	1135.34	1318.80
35.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	31.83	34.42
36.	जन शक्ति नियोजन	494.38	690.09
37.	लोक सेवा प्रबंधन	56.28	74.76
38.	विमानन	19.20	21.51
39.	भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास	83.68	90.64
40.	संसदीय कार्य	61.32	68.07
41.	महिला एवं बाल विकास	3688.40	4056.11
42.	ग्रामोद्योग	209.18	293.08
43.	चिकित्सा शिक्षा	445.95	582.45
44.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	749.49	829.49
45.	अनुसूचित जाति कल्याण	1296.38	1337.12
46.	सूचना प्रौद्योगिकी	75.03	180.18
47.	ग्रामीण विकास	3714.22	11102.96
48.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	392.19	597.62
49.	आयुष	410.76	497.26
50.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	49.81	72.31
51.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण	24.71	27.94

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2014-15 तक वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2014-15	टिप्पणी
1	कुल व्यय	₹ 21,647 करोड़	₹ 1,17,041 करोड़	पाँच गुना से अधिक वृद्धि
2	राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व	₹ 6,805 करोड़	₹ 38,990 करोड़	पाँच गुना से अधिक वृद्धि
3	राज्य आयोजना व्यय	₹ 5,684 करोड़	₹ 54,290 करोड़	नौ गुना से अधिक वृद्धि
4	पूँजीगत परिव्यय	₹ 2,883 करोड़	₹ 18,027 करोड़	छः गुना से अधिक वृद्धि
5	ब्याज भुगतान	₹ 3,206 करोड़	₹ 6,929 करोड़	बजट की पॉच गुना वृद्धि की तुलना में ब्याज भुगतान में केवल दो गुना की वृद्धि
6	राजस्व घाटा/आधिक्य	₹ 4,475 करोड़ (राजस्व घाटा)	₹ 4,479 करोड़ (राजस्व आधिक्य)	वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति है
7	कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	22.44 प्रतिशत	6.70 प्रतिशत	लगभग एक तिहाई हुआ
8	कुल आयोजना व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	26.26 प्रतिशत	46.39 प्रतिशत	लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई
9	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पूँजीगत परिव्यय का प्रतिशत	2.80 प्रतिशत	4.01 प्रतिशत	लगभग डेढ़ गुना वृद्धि
10	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत	7.12 प्रतिशत	2.98 प्रतिशत	FRBM Act द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के अन्दर
11	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत	33.71 प्रतिशत	22.37 प्रतिशत	एक तिहाई कमी
12	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध ऋण का प्रतिशत	31.18 प्रतिशत	14.16 प्रतिशत	लगभग आधा रह गया है
13	वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	₹ 1,02,839 करोड़	₹ 4,49,891 करोड़	चार गुना से अधिक वृद्धि

कर संबंधी प्रस्ताव वर्ष 2014-15

वेट

– शक्तिचलित कृषि यंत्रों थ्रेशर, लेवलर, कल्टीवेटर, पॉवर टिलर, हार्वेस्टर, स्प्रेयर आदि को करमुक्त किया गया।

– घण्टा, घड़ियाल, घुंघरू, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल एवं देवी–देवताओं की मूर्तियों (सोने, चाँदी तथा अन्य उत्तम धातुओं से निर्मित मूर्तियों को छोड़कर) को करमुक्त किया गया।

– तेंदूपत्ता के सड़क मार्ग से परिवहन पर देय कर की छूट दी गई।

– वित्तीय वर्ष के अंत में असमायोजित रहे आगत कर रिबेट की वापसी कर निर्धारण के साथ ही किए जाने का प्रावधान किया गया।

– घोषणा–पत्रों के प्राप्त हो जाने पर उन्हें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः निर्धारण करा सकने का प्रावधान किया गया।

– अपील प्रकरणों में वसूली के स्थगन संबंधी प्रावधानों को और प्रभावी बनाने एवं वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के समक्ष लंबित अपील प्रकरणों में वसूली स्वमेव स्थगित हो जाने का प्रावधान किया गया।

– इंडस्ट्रियल थर्मल इन्सुलेटर, कम्प्यूटर स्कैनर, एक्स–रे फिल्म, मक्खन, सभी प्रकार की सिलाई की सुईयाँ, फ्लश डोर, सेरामिक एवं विट्रीफाईड टाईल्स पर वेट की दर 13 प्रतिशत से घटाकर 5 की गई।

केन्द्रीय विक्रय कर

– चार पहिया या उससे अधिक पहिया वाहनों के प्रदेश के बाहर विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई।

– तांबा, पीतल, कांसे, एल्युमिनियम की शीट, सर्कल, लीफ स्प्रिंग, कापर वायर राड, वायर बार, कैथोड एवं क्वायन ब्लैंक पर केन्द्रीय विक्रय कर में दी गई रियायतों को वर्ष 2014–15 में भी यथावत रखा गया।

प्रवेश कर

– भारी माल वाहक वाहनों पर मार्च, 2015 तक प्रवेश कर से छूट दी गई।

– प्रदेश के बाहर से विक्रय हेतु लाये जाने वाले लोहे के सरिये पर देय प्रवेश कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।

– पुराने एवं उपयोग किए गए वाहनों के क्रय पर प्रवेश कर से छूट दी गई।

– म0प्र0 राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से पूरक पोषण आहार के प्रदाय पर अप्रैल, 2010 से देय प्रवेश कर से छूट दी गई।

– कोयले पर प्रवेश कर का न्यूनतम भार 3 प्रतिशत किया गया।

– हैंडलूम कपड़ा निर्माता, खादी ग्रामोद्योग इकाईयों तथा पाठ्य पुस्तक निगम को कच्चे माल, समाचार–पत्रों के प्रकाशन हेतु अखबारी कागज, विनिर्माण हेतु लोहा तथा इस्पात एवं चमड़ा, खाली सिक्कों के निर्माण हेतु धातु, रिफाईनिंग हेतु क्रूड खाद्य तेल, 1 करोड़ से अनधिक वार्षिक क्रय वाले लघु उद्योगों हेतु तिलहन, बीड़ी, प्लास्टिक के वाटर स्टोरेज टैंक, टिंबर, क्लिंकर, शक्तिकरघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा एवं चाय के क्रय पर प्रवेश कर में दी गई रियायतों को वर्ष 2014–15 में भी यथावत रखा गया।

———————

बजट भाषण २०१४-१५ में पंजीयन एवं मुद्रांक से सम्बंधित बिन्दु

प्रदेश में निष्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की दरों का युक्तिकरण किया जा रहा है । इस अनुक्रम में दान, विभाजन, निर्मुक्ति तथा व्यवस्थापन संबंधी ऐसी लिखतों पर, जिनमें परिवार के सदस्यों के पक्ष में सम्पत्ति हस्तान्तरित की गई है, स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता को सामान्य विक्रय पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से आधा किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया को सरल तथा कम्प्यूट्रीकृत करते हुए शासन द्वारा महत्वाकांक्षी **"ई-पंजीयन"** परियोजना लागू की जा रही है । इस व्यवस्था का पांच जिलों- उज्जैन, सीहोर, बालाघाट, अनूपपुर एव टीकमगढ में पायलट किया जाएगा और इस वर्षान्त तक प्रदेश के सभी जिलों में **"ई-पंजीयन"** व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।